



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 03.08.2022

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नीटू पुत्र वहीद निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय एक जिंदा कारतूस .32 बोर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 यूटी श्री आदित्य कुमार थाना बिनौली
- 2- का0 195 मनोज शर्मा थाना बिनौली
- 3-का0 862 दीपक भाटी थाना बिनौली



प्रेस नोट  
थाना बालैनी

दिनांक 03.08.2022

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/22 धारा 354(क) भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 105/22 धारा 354(क) भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- करण पुत्र अहर सिंह निवासी ग्राम घटौली थाना बालैनी जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री बृजेश पौनिया ।

2-का0- 958 रामनरेश ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 03.08.2022

**थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/22 धारा 147/342/307 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.08.2022 को थाना बालैनी पर वादी श्री मन्टु कुमार पुत्र कामेश्वर निवासी ग्राम टहलटीला थाना गरखा जिला छपरा(बिहार) ने तहरीर दी कि ग्राम बूढसैनी में दिनांक 01.08.2022 को अभियुक्त 1. मोहित पुत्र मदन 2. नवीन पुत्र नरेन्द्र 3. टिंकू



उर्फ रोहित पुत्र मदन 4. मांगे पुत्र धर्म सिंह 5. अकिल पुत्र ओमवीर निवासीगण ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ बुरी तरह मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर, पूरी रात एक कमरे में बन्द कर दिया तथा दिनांक 02.08.2022 की सुबह उपरोक्त पांचो अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से मांगे की ट्यूबवैल पर करंट लगाने व कमरे में बन्द करके बाहर से ताला लगा दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 106/22 धारा 147/342/307 भादवि में पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 106/22 धारा 147/342/307 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- नवीन पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- मोहित पुत्र मदन निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह
- 2- का0 884 सर्जन सिंह चाहर
- 3- का0 980 अरविन्द कुमार
- 4- का0 418 परमजीत सिंह



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 03.08.22

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 312/22 धारा 354/452/504/506/509  
भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 312/22 धारा 354/452/504/506/509 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मोनू धामा उर्फ अरुण उर्फ मुड्डी पुत्र धर्मपाल सिंह उर्फ धन्नू धामा निवासी मौ0 पट्टी औरांगाबाद कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 प्रदीप सिंह नादर
- 2-का0 447 पंकजय यादव
- 3.का0 774 धर्मेन्द्र सिंह



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 03.08.22

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/22 धारा 323/427/506/392  
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.07.22 को थाना छपरौली पर वादी विपिन कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. मनीष पुत्र मांगेराम एवं 2. रघु पुत्र श्यामलाल निवासीगण ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी की डेयरी पर आकर वादी के साथ मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देते हुए, तोड-फोड एवं दुकान के गल्ले से 6500/ रूपये निकालकर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 221/22 धारा 323/427/506/392 भादवि में पंजीकृत किया गया था ।



## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/22 धारा 323/427/506/392 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रोविन उर्फ रघु पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 राकेश त्यागी थाना छपरौली।
- 2- का0 731 मनीष कुमार थाना छपरौली।
- 3- का0 115 पवन नागर थाना छपरौली।